न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–16/2024–25

प्रथम पक्षः– 01. वृन्दा सिंह,
02. त्रिभुवन सिंह, दोनों पिता–धनेश्वर सिंह,
03. रामकुमार सिंह उर्फ तीला सिंह,
04. जालो सिंह, दोनों पिता–सागर सिंह,
05. देवेश कुमार पिता–जयशंकर सिंह,
06. पृथ्वी सिंह पिता–श्री लक्ष्मी सिंह,
07. अभय सिंह पिता–धनेश्वर सिंह,
08. राजकुमार सिंह पिता–वृन्दा सिंह,
सभी साकिन–रोल, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–01. अंचल अधिकारी, टण्डवा,
02. विद्याधर सिंह पिता–स्व0 गुलाब सिंह,
03. सुरेश सिंह पिता–स्व0 अनिरूद्ध सिंह,
04. कन्हैया सिंह पिता–स्व0 रजनी सिंह,
05. नवनीत कुमार सिंह,
06. वशिष्ट कुमार सिंह,
07. आनंद कुमार सिंह तीनों पिता–स्व0 संतकुमार सिंह
सभी साकिन–रोल, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा।

1 | 2 | 3

–आदेश–

1. इस वाद की प्रक्रिया आवेदक–वृन्दा सिंह पिता–धनेश्वर सिंह एवं अन्य साकिन–रोल, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा के द्वारा अंचल अधिकारी, टण्डवा के विविध वाद सं0–15/2023–24 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन के अलोक में प्रारम्भ की गई है। इस न्यायालय में संधारित वाद से संबंधित विवादित भूमि की विवरणी निम्नवत् हैः–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा
रोल	29	291	0.81 ए0,
	36	204	0.92 ए0,
	36	121	0.46 ए0
	36	117	0.10 ए0
			2.29 ए0

2. यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित कथन/बहस दाखिल कर न्यायालय निम्न तथ्यों को बताया गया हैः–

(2.1) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा यह वाद अंचल अधिकारी, टण्डवा के विविध वाद सं0–15/2023–24 (विद्याधर सिंह बनाम वृन्दा सिंह) में पारित ओदश से असंतुष्ट

Scanned with OKEN Scanner

होकर इस न्यायालय में अपील आवदेन दायर किया गया हे। अंचल अधिकारी द्वारा द्वितीय पक्ष (अंचल न्यायालय में प्रथम पक्ष) के पक्ष में आदेश पारित कर द्वितीय पक्ष वृन्दा सिंह एवं अन्य के पंजी–2 के पृष्ट सं0–37/1 से विवादित भूमि का रकबा घटाने का आदेश संबंधित कर्मचारी को दे दिया गया साथ ही ऑनलाईन करने का भी आदेश पारित किया गया, जो कि विधिक दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है एवं तत्काल खारिज करने योग्य है।

(2.2) अंचल अधिकारी, टण्डवा के द्वारा बिना जाँच किए गलत आदेश पारित किया गया है।

(2.3) प्रश्नगत भू–खण्ड पर प्रथम पक्ष के पूर्वजों एवं आवेदकगण का 100 वर्षो से अधिक का दखल–कब्जा है।

(2.4) प्रश्नगत भू–खण्ड पर प्रथम पक्ष की जमाबंदी पूर्वज महावीर सिंह के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0–37/01 पर कायम है, जो कि लम्बे समय की जमाबंदी है तथा संक्षिप्त कार्रवाई में इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सक्षम न्यायालय/व्यवहार न्यायालय है।

(2.5) भूखा सिंह के दो पुत्र उमरांव सिंह एवं जगलाल सिंह दोनों के नाम से अलग–अलग खतियान एवं खेवट था। उमरांव सिंह खेवट सं0–03/01 एवं जगलाल सिंह 03/02 के मालिक थे।

(2.6) उमरांव सिंह के द्वारा अपने हिस्से खेवट सं0–03/01 से मौजा–रोल, खाता सं0–29, प्लॉट सं0–140, रकबा–0.08 एकड़, प्लॉट सं0–193, रकबा–0.04 एकड़, प्लॉट सं0–291, रकबा–0.81 एकड़, प्लॉट सं0–293, रकबा–0.07 एकड़ एवं प्लॉट सं0–330, रकबा–1.92 एकड़ कुल रकबा–2.92 एकड़ भूमि दिनांक–11.01.1921 ई0 को केवाला के माध्यम से जगलाल सिंह को दे दिया गया था। जगलाल सिंह प्रथम पक्ष के पूर्वज है।

(2.7) मौजा–रोल अन्तर्गत खाता सं0–36, प्लॉट सं0–117, रकबा–0.10 एकड़, प्लॉट सं0–121, रकबा–1.02 एकड़, प्लॉट सं0–204, रकबा–1.84 एकड़ कुल जमा रकबा–2.96 एकड़ भूमि एवं अन्य खाते की भूमि सर्वे खतियान में प्रथम पक्ष के पूर्वज जगलाल सिंह के नाम से दर्ज है एवं वर्त्तमान में जगलाल सिंह के पुत्र महावीर सिंह के नाम से जमाबंदी कायम है।

(2.8) द्वितीय पक्ष के द्वारा वर्ष–1922 का जो केवला प्रस्तुत किया गया है। उसमें खेवट सं0–03/01 दर्ज है, जबकि खाता सं0–36, प्लॉट सं0–204, रकबा–1.84 एकड़ भूमि खेवट सं0–03/02 की भूमि है। इससे स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष का केवाल फर्जी है।

(2.9) वर्त्तमान में अंचल अधिकारी, टण्डवा के द्वारा निष्पादित विविध वाद सं0–15/2023–24 में पारित आदेश के आलोक में प्रथम पक्ष की खेवट सं0–03/02 की भूमि से रकबा घटाकर द्वितीय पक्ष के पंजी–II में जोड़ दिया गया है, जो न्याय संगत नहीं है।

(2.10) यह कि द्वितीय पक्ष के द्वारा फर्जी एवं जाली बनावटी केवाला के आधार पर अंचल कार्यालय को अपने मेल में ला कर विविधि वाद सं0–15/2023–24 में अपने पक्ष में आदेश पारित करवा लिया गया है। अंचल अधिकारी, टण्डवा के द्वारा अपने आदेश में खतियान एवं खेवट की वैद्यता को चुनौती दी गई है, जो कि अंचल अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अनुरोध है कि अंचल अधिकारी के

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर अपीलकर्त्ता के अपील को स्वीकृत करने की कृपा करें।

(2.11) प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में– 1. विविध वाद सं0–15/2023–24 में पारित आदेश की छायाप्रति 2. कर्मिक खतियान की छायाप्रति 3. महावीर सिंह के नाम से लगान रसीद की छाया प्रति 4 खेवट की छायाप्रति 5. ऑफलाईन पंजी-II की छायाप्रति 6. केवाला की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

3. दूसरी ओर द्वितीय पक्ष द्वारा लिखित कथन/बहस दाखिल कर न्यायालय को बताया गया कि:–

(3.1) यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा अंचल अधिकारी, टण्डवा के विविध वाद सं0–15/2023–24, दिनांक–24.09.2024 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया गया है, जो विधिक दृष्टिकोण से पोषनीय नहीं है तथा तत्काल खारीज करने योग्य है। अंचल अधिकारी, टण्डवा के द्वारा जाँचोपरांत ही आदेश पारित किया गया है। प्रथम पक्ष का दावा सरासर झुठा, गलत, काल्पनिक, मनगढ़ंत एवं बैयमानी के नियत से प्रश्नगत भू–खण्ड को हड़पना चाहते है। (5.1) अंचल अधिकारी, टण्डवा के द्वारा सभी स्तर से जाँचोपरांत ही विविध वाद सं0–15/2023–24 में आदेश पारित किया गया है। प्रथम पक्ष का अपील आवेदन तत्काल खारिज करने योग्य है।

(3.2) प्रथम पक्ष के द्वारा अधुरा वंशावली दिखाकर सही तथ्यों को छिपाया गया है। वंशावली में उमरांव सिह के पुत्र राजो सिंह को नावल्द दिखाया गया है, जबकि राजो सिंह की एक पुत्री खेदनी देवी थी, जिनका एक मात्र पुत्र–बैजनाथ सिंह थे। बैजनाथ सिंह राजो सिंह के नाती थे।

(3.3) प्रश्नगत भू–खण्ड में से मौजा–रोल, थाना–टण्डवा अंतर्गत खाता सं0–29, प्लॉट सं0–291, रकबा–0.81 एकड़, प्लॉट सं0–293, रकबा–0.06 एकड़, प्लॉट सं0–380, रकबा–1.92 एकड़ कुल जमा रकबा–2.80 एकड़ एवं अन्य खाते की भूमि केवाल सं0–92 दिनांक–23.01.1923 से द्वितीय पक्ष के पूर्वज मुकुंद सिंह, पिता–दरबारी सिंह, चैतो सिंह वो राधो सिंह के द्वारा राजो सिह, मान सिंह, घुटर सिंह तीनों के पिता–उमरांव सिंह से क्रय किया गया था, जो कि सर्वे खतियान के मालिक है। क्रय तिथि से ही दखल–कब्जा कायम तथा लगान रसीद निर्गत है। केवाला की सत्यापित प्रति की छायाप्रति संलग्न है।

(3.4) मौजा–रोल के अन्तर्गत खाता सं0–36, प्लॉट सं0–204, रकबा–1.84 एकड़ मधे रकबा–0.92 एकड़ भूमि चैतो सिंह वो राधों सिंह, पिता–गोपी सिंह एवं मुकंद सिंह, पिता–दरबारी सिंह के द्वारा केवाला सं0–320, दिनांक–03.02.1922 के द्वारा राजो सिंह, घुटर सिंह एवं मान सिंह, पिता–उमरांव सिंह से क्रय किया गया था। केवाला की सत्यापित प्रति की छायाप्रति संलग्न है।

(3.5) प्रथम पक्ष के पूर्वज बैजनाथ सिंह को केवाल सं0–396, दिनांक–23.01.1974 से खाता सं0–36, प्लॉट सं0–117, रकबा–0.10 एकड़ भूमि, प्लॉट सं0–121 के

Scanned with OKEN Scanner

अतिरिक्त अन्य प्लॉट कुल रकबा–0.78 एकड़ भूमि राजो सिंह, मान सिंह, पिता–उमरांव सिह से प्राप्त है। केवाल संलग्न है।

(3.6) बैजनाथ सिंह के द्वारा अपनी खरीदगी भूमि में से केवाला सं0–5246, दिनांक–12.11.1990 से खाता सं0–36, प्लॉट सं0–121, रकबा–0.46 एकड़, मधे रकबा–0.08 एकड़ भूमि, केवाला सं0–1539, दिनांक–01.04.1992 से खाता सं0–36, प्लॉट सं0–117, रकबा–0.10 एकड़, प्लॉट सं0–121, रकबा–0.06 एकड़, केवाला सं0–2817, दिनांक–07.06.1988 से खाता सं0–36, प्लॉट सं0–121, रकबा–0.32 एकड़ भूमि कुल जमा रकबा–0.56 एकड़ भूमि हर्षमनी देवी, पति–अर्जुन सिंह को बिक्री किया गया था, जिसपर जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत है। केवाल की प्रति संलग्न है।

(3.7) द्वितीय पक्ष को केवाल सं0–92, दिनांक–23.01.1923 से प्राप्त भूमि का आपसी बटवारा वाद सं0–374, दिनांक–1982/83 से हुआ था। लिपिकीय भूलवश खाता सं0–29, प्लॉट सं0–291, रकबा–0.81 एकड़ भूमि छुट गया था, जिसके कारण ऑनलाईन नहीं हो सका। पुनः इसका आवेदन अंचल कार्यालय, टण्डवा में दिया गया था, जिसके आलोक में राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल–कब्जा है।

(3.8) प्रथम पक्ष के द्वारा सादा केवाला के आधार पर अंचल कार्यालय को मेल में लाकर जमाबंदी कायम करवा लिया गया है। सादा केवाला को कभी भी रेवेन्यू ऑथोरिटी के द्वारा वैद्य नहीं माना गया है। प्रथम पक्ष की जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के ही जमाबंदी कायम करवा लिया गया है। द्वितीय पक्ष की भूमि को हड़पने की मंशा से जाली कागजात तैयार किया गया है।

(3.9) प्रथम पक्ष का दावा है कि उनके पूर्वजों के द्वारा द्वितीय पक्ष को केवाला नहीं किया गया है, तो प्रथम पक्ष के द्वारा आजतक केवाला रद्द कराने हेतु किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती क्यों नहीं दिया गया ? वर्त्तमान में प्रथम पक्ष के द्वारा अपील किया जा रहा जो कि लेमिटेशन एक्ट 1963 का उल्लंघन है।

(3.10) वर्त्तमान में द्वितीय पक्ष का लगान रसीद वर्ष–2024–25 तक निर्गत है।

(3.11) मौजा–रोल अंतर्गत खाता सं0–36 की भूमि समिलात खेवट खतियान की भूमि थी ऐसे में प्रथम पक्ष के द्वारा यह दावा करना कि खाता 36 की भूमि खेवट सं0–03/02 की भूमि थी जो गलत है।

(3.12) प्रथम पक्ष खेवट के आधार पर दावा कर रहे है, जबकि द्वितीय पक्ष के पास वैद्य केवाला के साथ दखल–कब्जा भी कायम है।

(3.13)यह कि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भू–खण्ड विभिन्न केवाला के माध्यम से प्राप्त किया गया है। खरिदगी तिथि से ही द्वितीय पक्ष का दखल–कब्जा कायम है। प्रथम पक्ष के द्वारा पंजी–II के पृष्ठ सं0–37/1 पर बिना सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षर के बिना ही अवैध जमाबंदी कायम करवाई गई है। जिसे अंचल अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

के द्वारा विलोपित करने का सही आदेश पारित किया गया है। अनुरोध है कि अंचल अधिकारी के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखने की कृपा करें।

(3.14) द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में :– 1. केवाल की छायाप्रति 2. विविध वाद सं0–15/2023–24 में पारित आदेश की छायाप्रति 3. पंजी–2 की छायाप्रति 4. कर्मचारी प्रतिवेदन 5. लगान रसीद की छायाप्रति 6. खेवट की छायाप्रति 7. खतियान की छायाप्रति वंशावली की छायाप्रति संलगन किया गया है।

4. उभय पक्षों द्वारा दाखिल लिखित कथन/लिखित बहस एवं अंचल अधिकारी, टण्डवा के द्वारा पारित आदेश, राजस्व कागजातों के अवलोकन, विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने के उपरान्त निम्न तथ्य पाये गये :–

I. प्रथम पक्ष वृन्दा सिंह एवं अन्य के द्वारा अंचल अधिकारी, टण्डवा के विविध वाद सं0–15/2023–24, विद्याधर सिंह बनाम वृन्दा सिंह में पारित आदेश के विरूद्ध अपील किया गया है।

II. अंचल अधिकारी, टण्डवा के द्वारा विविध वाद सं0–15/2023–24 में विद्याधर सिंह (इस न्यायालय में द्वितीय पक्ष) के पक्ष में आदेश पारित किया गया है।

III. प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज, खेवट एवं सादा केवाला के आधार पर प्रश्नगत भू–खण्ड का दावा कर रहे है, जबकि द्वितीय पक्ष निबंधित केवाला एवं दखल–कब्जा के आधार पर दावा कर रहे है।

IV. उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन/बहस में स्वीकार किया प्रश्नगत भू–खण्ड के खतियानी रैयत उमराव सिह एवं जगलाल सिंह, पिता–भुखा सिंह थे। उमरांव सिंह खेवट सं0–03/01 तथा जगलाल सिंह खेवट सं0–03/02 के मालिक थे। इस हेतु खेवट के छायाप्रति अभिलेख में संलग्न किया गया है। प्रथम पक्ष का दावा है कि खाता सं0–36 की भूमि खेवट सं0–03/02 की भूमि है, इस दावे के समर्थन हेतु खेवट की छायाप्रति संलग्न किया गया है। जबकि दूसरी ओर द्वितीय पक्ष का दावा है कि खाता सं0–36 की भूमि के मालिक उमरांव सिंह थे जो खेवेट संख्या–3/1 के भू–स्वामी थे इस दावे के समर्थन हेतु केवाला संख्या–320, दिनांक–03.02.1922 संलग्न किया गया है जिसमें खेवट सं0–03/01 दर्ज है। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत खेवट में सामिलात खाता अंकित है उक्त के आलोक में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि खाता संख्या–36 की भूमि खतियानी रैयत उमराव सिंह, जगलाल सिंह में से किनकी भूमि है।

V. प्रथम पक्ष के द्वारा बताया गया है प्रश्नगत भू–खण्ड के खतियानी रैयत उमरांव सिंह एवं जगलाल सिंह में भूमि का आपसी बटवारा हो गया था तथा वर्ष–1921 ई0 में सादा केवाला के माध्यम से उमरांव सिंह ने अपने छोटे भाई जगलाल सिंह जगलाल सिंह के पुत्र महावीर सिंह को मौजा–रोल, थाना–टण्डवा अन्तर्गत खाता सं0–29, प्लॉट सं0–140, रकबा–0.08 एकड़, प्लॉट सं0–193, रकबा–0.04 एकड़, प्लॉट सं0–291, रकबा–0.81 एकड़, प्लॉट सं0–293, रकबा–0.07 एकड़, प्लॉट सं0–330,

Scanned with OKEN Scanner

रकबा–1.92 एकड़, कुल जमा रकबा–2.92 एकड़ भूमि दे दिया गया था, जिसकी जमाबंदी पंजी–ii के 37/01 पर कायम है द्वितीय पक्ष फर्जी केवाला के आधार पर दावा कर रहे है।

दुसरी ओर द्वितीय पक्ष द्वारा बताया गया है कि सादा केवाला को कभी भी रेवेन्यू ऑथोरिटी के द्वारा वैद्य नहीं माना गया है। प्रथम पक्ष की जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के ही जमाबंदी कायम करवा लिया गया है। इस संदर्भ में कहना है कि प्रथम पक्ष के अनुसार अगर द्वितीय पक्ष का केवाला फर्जी है तो फिर प्रथम पक्ष को सक्षम न्यायालय में इसका दावा करना चाहिए था। जबकि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी केवाला निबंधित केवाला है ऐसे में निबंधित केवाला को फर्जी कहना गलत है। साथ ही प्रथम पक्ष द्वारा आपसी बटवारा से संबंधित कोई प्रमाण संलग्न नही किया गया है। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत निबंधित केवाला की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।

VI. द्वितीय पक्ष के द्वारा बताया गया है कि केवाला सं0–92, दिनांक–23.01.1923 से प्राप्त भूमि का बटवारा नामा वाद सं0–374, वर्ष–1982–83 से जमाबंदी कायम होकर पंजी–II के पृष्ठ सं0–129/01 पर दर्ज है। इस बटवारे नामे में लिपिकीय भूलवश, खाता सं0–29, प्लॉट सं0–291, रकबा–0.81 एकड़ छुट गया था, जिसका पुनः अंचल कार्यालय, टण्डवा में आवेदन दिया गया था इसके आलोक में जमाबंदी संशोधित किया गया। इसका वर्णन अंचल अधिकारी, टण्डवा द्वारा पारित आदेश में भी वर्णित है। अंचल अधिकारी, द्वारा पारित आदेश की प्रति एवं बटवारानामा की प्रति अभिलेख में संलग्न है।

VII. प्रथम पक्ष का दावा है कि उनके पूर्वज राजो सिंह नावल्द थे, जबकि द्वितीय पक्ष का दावा है कि राजो सिंह की पुत्री खेदनी देवी थी, जिसके पुत्र वैजनाथ सिंह थे। उभय पक्ष के द्वारा कोई भी वैध वंशावली संलग्न नहीं किया गया है।

VIII. अंचल अधिकारी, टण्डवा द्वारा विविध वाद सं0–15/2023–24 में सभी तथ्यों का जाँच कर ही आदेश पारित किया गया है जो सही प्रतित होता है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में अंचल अधिकारी, टण्डवा द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। जहाँ तक केवाला की वैधता का प्रश्न है इसके लिए सक्षम न्यायालय व्यवहार न्यायालय है।

अतः असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है। वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

24/10/2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

24/10/2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by Sunny Raj
Date: 2025.10.31 18:40:18 +05:30
Location: 10.93.203.98

Scanned with OKEN Scanner